International Research Journal of Commerce and Law
Volume 11 Issue 04, April 2023 ISSN: 2349-705X Impact Factor: 6.893
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ.संजय कुमार रायपुरिया,
सहायक आचार्य,
राजकीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय,
अलवर (राज.)

व्यक्ति के प्रति मानवीय दृष्टिकोण मानव की शारीरिक वेदना मानसिक पीडा और संवेदनशील प्रकृति कि सहज एवं स्वाभाविक व्यक्तित्व का परिचायक है। मानव के व्यक्तित्व का परिचयात्मक स्वरूप अंतकरण से प्रस्फुलित होता है, इसके विपरीत मानवीय दृष्टिकोण और मानवीय स्वभाव मानव को प्राकृतिक विरासत से प्राप्त होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि का परिचय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसकी उत्पति राज्यों के बीच सशस्त्र संघर्ष से जुडी हुई है और यह ऐतिहासिक रूप से अपना ध्यान संरक्षण के विकास पर केन्द्रित करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि का अर्थ एवं परिभाषा –

अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि का प्रत्यक्ष संबंध युद्ध में हताहत, घायल, और प्रभावित सैनिकों तथा गैरसैनिको से है। इस विधि के द्वारा ऐसे व्यक्तियों के मूलभूत मानवाधिकारों की संरक्षा की जाती है जो राष्ट्र के अनिवार्य कार्य में देश की संरक्षा से पीडित होते है।

जोविका पत्र नाजिक के अनुसार ''अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि, अन्तर्राष्ट्रीय विधि की एक शाखा है जो सशस्त्र संघर्ष से पीडित व्यक्तियों के लिए संरक्षण की कार्यवाही करती है।

जीन पिकरेट के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि लोक अन्तर्राष्ट्रीय विधि की एक शाखा है, जो अपनी प्रेरणा के लिए आभारी है मानवता के प्रति संवेदनशीलता की और जो व्यक्ति के संरक्षण पर केन्द्रित है।

संक्षेप में हम कह सकते है कि अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि लोक अन्तर्राष्ट्रीय विधि की एक शाखा है, जो मनुष्य को युद्ध के परिणामो के विरूद्व संरक्षण प्रदान करती है। यह सशस्त्र संघर्ष के समय ही लागू होती है। संधियाँ और प्रथागत कानून अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि के दो प्रमुख स्त्रोत है।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि की दो शाखाएं है–

1. युद्ध की विधि
2. मानव अधिकार की विधि

अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि – उत्पति और विकास

अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि जो मनुष्य को युद्ध के परिणामों के विरूद्व सुरक्षा प्रदान करती है कोई नई संकल्पना नही है, इसके जन्म का इतिहास पुराना है, इसके लिए हमें 19वी सदी में झांकना होगा।

दासता और दास व्यापार के समापन मे किये गये प्रयत्नो की सफलता से उत्साहित होकर 19वी सदी मे एक विशेष प्रकार के अधिकार के प्रति लोगो का सरोकार बढ़ने लगा और वह था युद्ध में घायल और युद्धबन्दियों के अधिकार के प्रति युद्ध में की गई बर्बरता और अभावो की ओर लोगो का ध्यान बडे पैमाने पर फ्लोरेस नाइटीगेल के कार्यो के माध्यम से आकृष्ट हुआ।

24 जून 1859 को उतरी इटली के सोलफेरिनों नामक स्थान पर फ्रांसीसी और इतावली सेनाओ ने आस्ट्रियाई सेनाओ के साथ एक अचानक युद्ध किया उसी दिन एक नौजवान स्वीटजरलैण्ड का व्यापारी हेनरी डुनेन्ट फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन तृतीय से भेट करने पहुँचा। इस युद्ध में एक दिन में 6000 मृत्यु को प्राप्त हुए और 36000 घायल युद्ध स्थल पर पडें हुये थे। घायलो को देखने वाला कोई नही था वे संक्रमण से मर रहे थे अभियान के दौरान 60 घायलो की मृत्यु हो गई।

डुनेन्ट इस विभीषिका से द्रवित हो गया और स्थानीय नागरिको को संगठित करके उन्हें प्राथमिक चिकित्सा पंहुचाई। उसने अपने इस अनुभव की अभिव्यक्ति ''दी सोविनेर की सोलफेरनो'' नामक पुस्तक में

थी। एक हिमायती के रूप मे डुनेन्ट ने यह अभियान चलाया कि शान्ति के समय राज्यों को युद्ध के समय में घायलो की देखभाल के प्रावधान करके चाहिए इसने दो प्रस्ताव दिए (1) प्रथम प्रस्ताव रेडक्रास की स्थापना (2) द्वितीय मानवीय विधि के विकास का पथ प्रदर्शक बना।

स्वीडन के चार नागरिको ने डुनैन्ट को अपने समर्थन की घोषणा की तथा 17 फरवरी 1783 को घायल सैनिको की मदद के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्थानीय समिति की स्थापना की तथा इसके 1880 मे रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति नाम अंगीकार किया।

इसी समय सफेद तह पर रेडक्रास का चिन्ह अंगीकार किया गया जो बाद में संरक्षण का प्रतीक बन गया। स्थायी समिति को आदर्श वाक्य था, शस्त्रो के संघर्ष में उदारता।

जेनेवा अभिसमय 1864 –

पांच सदस्यों की समिति (हेनरी इनैन्ट तथा चार अन्य) की पहल पर 22 अगस्त 1864 में एक राजनयिक सम्मेलन बुलाया गया जिसने प्रथम जेनेवा अभिसमय युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों की दशा, सुधारने के लिए अंगीकार किया। इसे अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि का प्रारम्भिक बिन्दु माना जा सकता है।

जेनेवा अभिसमय में 10 अनुच्छेद थे। इसमें मानवीय विधि का शक्तिशाली आधार तैयार किया जो कभी हिला नही। जेनेवा अभिसमय 1864 सन् 1868,1899 व 1907 हेग अभिसमय युद्ध विधि तथा युद्ध रूढ़ियों से सम्बन्धित है। इस अभिसमय द्वारा युद्ध को विनियमित करने के लिए स्पष्टता कहा गया है कि सैनिक कार्यवाही केवल सशस्त्र बलो के स्थानों तक ही सीमित रहेगी इस कार्यवाही से जनता जिसमें बच्चे तथा महिलाएं भी सम्मिलित होगी सम्पूर्ण रूप से उन्मुक्त होगी।

इसके पश्चात् 27 जुलाई 1949 को घायल अति बीमार सैनिकों के लिए जेनेवा अभिसमय बनाया गया तथा 12 अगस्त 1949 को जेनेवा अभिसमय सृजित किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि के मुख्य स्त्रोत –

आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि का कार्य मर्म 1949 और 1977 की संहिताकरण का परिणाम है, ये अभिसमय निम्न है।

1. युद्ध क्षेत्र में सशस्त्र बलो के घायल और बीमार की दशा सुधारने के लिए जेनेवा अभिसमय 1949 यह अभिसमय 21 अक्टूबर 1950 से प्रभावी हुआ।
2. समुद्रीय सशस्त्र बल के सदस्यो में घायल, बीमार और पोतभंग के शिकार लोगो की दशा सुधारने के लिए जेनेवा अभिसमय 1949. यह अभिसमय 12 अगस्त 1949 को अंगीकार किया गया तथा 21 अक्टूबर 1950 से प्रभावी हुआ।
3. युद्ध बन्दियों से व्यवहार सम्बन्धित जेनेवा अभिसमय 1949. यह अभिसमय 21 अक्टूबर 1950 से प्रभावी हुआ।
4. अन्तर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष के शिकार लोगो के संरक्षण से सम्बन्धित जेनेवा अभिसमय 1949 का अतिरिक्त प्रोटोकोल 1977 तथा 07 दिसम्बर 1978 से प्रभावी हुआ।
5. गैर अन्तर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष के शिकार लोगो के संरक्षण सम्बन्धित जेनेवा अभिसमय 1949 का अतिरिक्त प्रोटोकोल 1977 जो 07 दिसम्बर 1998 से प्रभावी हुआ।

- सन् 1991 में जेनेवा अभिसमय के उल्लंघन के अन्वेषण लिए अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया।
- सन् 1993 में रसायन हथियार अभिसमय को अंगीकार किया गया।
- सन् 1995 में ब्लाउंग लेसर्स प्रोटोकोल को अंगीकार किया गया।
- सन् 1996 से 1980 के भूमि विस्फोटक अभिसमय को संसोधित किया गया।
- सन् 1997 में भूमि विस्फोटक प्रतिषेध एवं मानव संरक्षण संधि की गई।
- सन् 1999 में संस्कृति सम्बन्धित प्रोटोकोल द्वितीय स्वीकार किया गया।
- 25 मई 2000 को बाल सैनिको के लिए एक प्रोटोकोल अंगीकृत किया गया है।

युद्ध क्षेत्र में सशस्त्र बलो में घायल और बीमार की दशा सुधारने के लिए जेनेवा अभिसमय – यह

अभिसमय 9 अध्यायों तथा 64 अनुच्छेदो में बंटा हुआ है। अनुच्छेद 3 के अनुसार सशस्त्र संघर्ष के मामले में जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति का नही है और अभिसमय के उच्च संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र में घटित होता है तो संघर्ष का प्रत्येक पक्षकार निम्न प्रावधानो को एक न्यूनतम के रूप में लागू करने के लिए बाध्य होगा।

1. वे लोग जो युद्ध में सक्रिय भाग नही लेते है, जिनमें सशस्त्र बल के वे सदस्य शामिल है जिन्होने हथियार डाल दिये है और जो युद्ध स्थिति से बाहर है। बीमारी, घायलपन या निरोध के द्वारा या किसी अन्य कारणवश उनके साथ मानवता का व्यवहार किया जायेगा बिना किसी भेदभाव कि।
2. घायलो को इकठ्ठा किया जायेगा तथा उनकी देखभाल की जायेगी।

घायल और बीमार के अधिकार –

1. आदर का और परिस्थिति में सुरक्षा का अधिकार।
2. मानवीय व्यवहार और बिना किसी भेदभाव के देखभाल किये जाने का अधिकार।
3. प्राण का अधिकार
4. यातना से मुक्ति
5. जैविक प्रयोगो से स्वतंत्रता
6. चिकित्सीय सहायता और देखभाल का अधिकार

अनुच्छेद – 12 के प्रावधानो के अधीन रहते हुए यदि युद्धमान का कोई घायल और बीमार शत्रु के हाथो पड जाता है तो वह युद्ध अपराधी होगा और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के युद्ध अपराधियों से सम्बधित प्रावधान उस पर लागू होगे तथा जितना शीघ्र सम्भव हो यह सूचना युद्ध बन्दियों से सम्बन्धित जेनेवा अभिसमय 1949 के अनुच्छेद 122 के अन्तर्गत गठित '' सूचना ब्यूरो '' को ही दी जाये।

समुद्रीय सशस्त्र बल के सदस्यों में घायल बीमार और पोत अंग के शिकार सदस्यो की दशा सुधारने के लिए जेनेवा अभिसमय 1949. यह अभिसमय 8 अध्यायों तथा 63 अनुच्छेदो मे बंटा हुआ है।

अनुच्छेद 1 के अनुसार उच्च संविदाकारी पक्षकारी यह वचन देते है कि वर्तमान अभिसमय का सभी स्थितियों में आदर करेगें और आदर को सुनिश्चित रहेगे।

युद्ध बन्दियो के व्यवहार सम्बंधी जेनेवा अभिसमय –

युद्ध बंदी की परिभाषा अनुच्छेद 4 में इस प्रकार दी गई है, युद्धबंदी वह है जो सशस्त्र बलो का सदस्य नियमित सैन्य बलो का सदस्य ऐसा व्यक्ति है जो सेना का सदस्य नही है लेकिन उनके साथ युद्ध के नियमो और प्रयासो का पालना करते हुए युद्ध का सामना करने वाला व्यक्ति है और आधिपत्य क्षैत्र के सशस्त्र बल का सदस्य है।

युद्धबन्दियो को निम्नलिखित संरक्षण प्राप्त है (अनुच्छेद 19) –

1. मानवीय व्यवहार का अधिकार
2. युद्ध बंदी का अंग भंग न किये जाने का अधिकार
3. हिंसा, अभित्रास अपमान और लोक उपहास के विरूद्व अधिकार
4. प्रतिहिंसा के विरूद्व अधिकार
5. शरीर और प्रतिष्ठा के प्रति अपराध का अधिकार
6. स्वास्थ भरण–पोषण और चिकित्सीय सहायता का अधिकार
7. गैर भेदभाव का अधिकार
8. शारारिक व मानसिक शोषण के विरूद्व अधिकार
9. दैनिक खाद् राशन व पीने के पानी का अधिकार
10. वस्त्र अंदर के कपडे व जूता का अधिकार
11. वेतन के मासिक अग्रिम का अधिकार
12. दोहरे खतरे के विरूद्व संरक्षण

युद्ध के समय सिविलियन लोगो के संरक्षण से सम्बधित जेनेवा अभिसमय 1949 यह अभिसमय चार भागो तथा 159 अनुच्छेदो में बंटा हुआ है। यह अभिसमय युद्ध तथा दो राष्ट्रो के मध्य अन्य प्रकार के विद्रोह पर

लागू होता है। इस अभिसमय के अनुसार आप लोगो को दी गई संरक्षा निम्न है।

1. युद्ध में भाग न लेने वाले व्यक्तियो के साथ हिंसा क्रुरता अपमानजनक और उत्पीडनात्मक कार्यवाही नही की जाएगी।
2. उपचार का अधिकार।
3. तटस्थ स्थान पर आवास तथा भोजन की व्यवस्था की जायेगी।
4. घायल रोगी निशक्त और गर्भवती महिलाओ की संरक्षा तथा सम्मान किया जायेगा।
5. घायल रोगी निशक्त व्यक्तियों, बालको, वृद्वो तथा गर्भवती महिलाओ को युद्व के स्थान से दूर रखने की व्यवस्था की जायेगी।
6. अन्तर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष के पीडित लोगो के संरक्षण से सम्बधित जेनेवा अभिसमयो 12 अगस्त 1949 का अतिरिक्त प्रोटोकोल– यह प्रोटोकोल 6 भागो और 102 अनुच्छेदो में बटा हुआ हैं

अनुच्छेद 1 के अनुसार इस प्रोटोकोल के सामान्य प्रावधानो का प्रारम्भ उच्च संविदाकारी पक्षकारो के इस वचन से होता है कि वे इस प्रोटोकोल का सभी स्थितियो में आदर करे और आदर सुनिश्चित करेगें।
प्रोटोकोल के पक्षकार रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति को ऐसी सुविधाऐ उपलब्ध करायेगें कि वह अभिसमय व प्रोटोकोल में अपने लिए निर्धारित दायित्वों का निर्वहन, सशस्त्र संघर्ष के पीडित लोगो की सहायता और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कर सके।

7. गैर अन्तर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष के पीडित लोगो के संरक्षण से सम्बन्धित जेनेवा अभिसमय 12 अगस्त 1949 का अतिरिक्त प्रोटोकोल – यह क भाग 28 अनुच्छेदो में बंटा हुआ है। प्रोटोकोल की उदेद्शिका के अनुसार इस प्रोटोकोल के प्रावधान गैर अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति के संघर्ष में लागू होते है। यह प्रोटोकोल आंतरिक बाधा और तनाव जैसे दंगा एकाकी और छुटपुट हिंसा की घटनाओं पर लागू नही होता है।

निष्कर्ष :–

अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि (IHL), जिसे युद्ध के कानून या सशस्त्र संघर्ष के कानून के रूप में भी जाना जाता है, सशस्त्र संघर्ष और कब्जे की स्थितियों पर लागू होने वाला कानूनी ढांचा है। नियमों और सिद्वान्तों के एक समूह के रूप में इसका उद्देश्य माननीय कारणों से सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमित करना है। अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि सार्वजनिक कानून का एक हिस्सा है, जो संधियों प्रथागत कानून सिद्वान्तों और मानंदडो का एक व्यापक समूह है। यह पारंपरिक रूप से केवल राज्यों के बीच सम्बन्धों को विनियमित करता था। अन्तर्राष्ट्रीय सुधार किये है, क्योकि यह राज्यों और राज्य सशस्त्र समूहों दोनो के लिए दायित्वो को मान्यता देता है जो सशस्त्र संघर्ष के पक्ष में है।

सन्दर्भः–

1. मानव अधिकार, डॉ. टी.पी त्रिपाठी
2. मानव अधिकार, डॉ. जय जयराम उपाध्याय
3. मानव अधिकार, डॉ. एच.ओ.अग्रवाल
4. मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि, डॉ. एस.के.कपूर
5. अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार, डॉ. एच.ओ.अग्रवाल
6. भारत का संविधान, आचार्य डी.डी. बसु